

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON MONDAY, THE 8TH MARCH, 2021 AT 02.00 P.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. DISCUSSION ON THE GOVERNOR'S ADDRESS.

(i) **Smt. Seema Trikha,** to move that an Address be presented to the Governor in
M.L.A. the following terms :-

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 5th March, 2021 at 02.00 P.M.”.

(ii) **Smt. Naina Singh** to second the above motion.
Chautala, M.L.A.

III. OFFICIAL RESOLUTIONS

(i) **A MINISTER to move-** “ That whereas, the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 was introduced to make special provisions to achieve objective of Ease of doing Business & facilitate the MSMEs, to encourage the growth in industrial sector, for encouraging entrepreneurs to invest in the State of Haryana and for matters connected therewith. Thus, the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 was made by the State Government and was passed by Haryana Vidhan Sabha on the 30th March, 2016.

And whereas, the said bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in Article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under Article 201 of the Constitution of India.

And whereas, the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 was sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India for assent of the President of India. On seeking comments of Ministry of Labour & Employment, Government of India by Ministry of Home Affairs, it was observed that the provision pertaining to increase in number of overtime hours and compounding of offences are not aligned with the Factories (Amendment) Bill, 2014 which was then introduced in the

Lok-Sabha. The State Government had given its comments to the Ministry from time to time but these are not supported by the Ministry of Labour & Employment. Thereafter, on advice of the Government of India it was decided to re-visit the bill. Accordingly, the State Government requested the Ministry of Home Affairs, Government of India to return the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 as the State Government was intends to introduce new bill in view of the observations made by the Ministry of Labour & Employment.

And whereas, a fresh bill i.e. Factories (Haryana Amendment) Bill, 2018 in consonance with the suggestions of the Ministry of Labour & Employment, Government of India was passed by the State Legislature on 11th September, 2018 and the same has been notified as an act of Haryana Legislature on 20th July, 2020 vides notification no. Leg.17/2020 dated 20.07.2020 after the obtaining assent of President of India for its applications to the State of Haryana as Factories (Haryana Amendment) Act, 2018 (Haryana Act No. 16 of 2020).

And whereas, in view of the above the aforesaid circumstances proposal to withdraw the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 was put up before CMM.

And whereas, the Council of Ministry in its meeting held on 10.02.2021 has authorized the Chief Minister to approve the presentation of any Legislative Business before the Haryana Vidhan Sabha during its Session commencing from 05.03.2021 and the Chief Minister has approved the proposal to withdraw the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 on behalf of the CMM in terms of Serial Number 09 of the Schedule Appended to the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977.

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016.”

(ii) A MINISTER to move- “That the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018 was passed by the State Legislature vide Bill No. 37-HLA of 2018 to prohibit disturbing or changing of public utility and claiming such land to the exclusion of public rights and use in the State of Haryana and form matter connected therewith or incidental thereto;

And whereas, the said bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under article 201 of the Constitution of India;

And whereas, in clause 8 of the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018, it has been proposed as under:-

“8 (1) if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature”;

And whereas, the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs has made observation on clause 8 of the said Bill as Under:-

“Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day.”;

And whereas, the State Government requested the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi to return the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018. The Ministry of Home Affairs, Government of India intimated vide letter No. 17/55/2018-Judl. & PP, dated the 3rd November, 2020, to the State Government that Government of India has no objection to the withdrawal of the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018. Further, the Secretary to Governor, Haryana vide letter No. HRB-MA (UA)-4(55)-2018/6750, dated the 24th November, 2020 has intimated that the case was placed before the Hon'ble Governor, who has accorded his approval to withdraw the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018 which has been reserved by the President of India for his assent;

And whereas, the Legal Remembrancer, Haryana has conveyed its advice vide U.O. No. 10276-Leg.III (420)A/2020/13, dated 07.01.2021 that –

“The A.D. is advised to get the Memorandum regarding withdrawal of the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018, approved by the Council of Ministers. Thereafter, a resolution has to be passed by the Haryana State Legislature Assembly for withdrawal of the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018;

Further, the object in the matter may be achieved by passing a Bill after incorporating all the observations made by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, in the Haryana Legislative Assembly.”

And whereas, the Council of Ministers, Haryana in its meeting held on 10th February, 2021 has decided to withdraw the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018.

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in article 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018.”

(iii) A MINISTER to move- “That the Sports University of Haryana Bill, 2019 was passed by the State Legislature vide Bill No. 23-HLA of 2019 to establish and incorporate a Sports University in the State of Haryana, a specialized University, to promote sports education in the areas of sports sciences, sports technology, sports management and sports coaching besides functioning as the training centre for select sports disciplines by adopting best international practices and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas, the said Bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under article 201 of the Constitution of India;

And whereas a letter was received from Ministry of Home Affairs, Government of India vide No. F.No. 17/45/2019-judl.& PP dated the 19th December, 2019, in reference of an office memorandum of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India vide No. F.No.6-3/2019-U.II vide dated the 11th December, 2019, wherein it has been provided that as per clause 7.3(II) of the University Grants Commission Regulations, 2018, “The Chairman, University Grants Commission (UGC) shall nominate a member of the Selection Committee for selection of Vice-Chancellor of State, private and deemed to be Universities. Now, since no member of the Search-cum-Selection Committee is nominated by University Grants Commission. This criteria for the appointment of Vice-Chancellor needs to be relooked.

Therefore, on advice of the Government of India, it was decided to relook the bill. Accordingly, it has been decided by the State Government to withdraw the Sports University of Haryana Bill, 2019 (Bill No. 23-HLA of 2019).

And whereas, the Council of Ministers in its meeting held on the 10th February, 2021 authorized the Chief Minister to approve the presentation of any Legislative Business before the Haryana Vidhan Sabha during its session commencing from the 5th March, 2021 and the Chief Minister has approved the proposal to withdraw the Sports University of Haryana Bill, 2019 on behalf of the Council of Ministers.

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Sports University of Haryana Bill, 2019.”

IV. LEGISLATIVE BUSINESS.

(Bills to be introduced)

1.	The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Rural Development (Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.
2.	The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.
3.	The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.
4.	The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.

**CHANDIGARH:
THE 5TH MARCH, 2021.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 8 मार्च, 2021 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

(i) श्रीमती सीमा त्रिखा,
एम.एल.ए.

प्रस्ताव करेंगी कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :-

‘कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 मार्च, 2021 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।’।

(ii) श्रीमती नैना सिंह चौटाला,
एम.एल.ए.

उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगी।

III. सरकारी संकल्प

(i) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे- “यह कि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016, व्यापार करने को आसान बनाने के लिए विशेष प्रावधान करना व एम.एस.एम.ई. को सुविधा प्रदान करना, औद्योगिक क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करना, उद्यमियों को हरियाणा राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था इसलिए कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था और हरियाणा विधानसभा द्वारा 30 मार्च, 2016 को पारित किया गया था।

और जबकि उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिये गये उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था।

और जबकि राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत, उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और जबकि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016, भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। जब गृह मंत्रालय द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी मांगी गई तो यह पाया गया कि ओवर टाईम घंटों की संख्या में अपराधों का प्रशमन से सम्बन्धित प्रावधान कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जोकि उस समय लोक सभा में पेश किया गया था। राज्य सरकार ने समय-समय पर मंत्रालय को अपनी टिप्पणी दी थी परन्तु यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मंजूर नहीं की गई। तत्पश्चात् भारत सरकार की सलाह पर यह विधेयक को पुनः

जाँचने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 वापिस लौटाने के लिए अनुरोध किया था। क्योंकि राज्य सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की टिप्पणियों के मद्देनजर नया विधेयक प्रस्तुत करना चाहती थी।

और जबकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालयों के सुझावों के अनुसार एक नया विधेयक कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 राज्य विधानसभा द्वारा 11.09.2018 को पास किया गया तथा इसको भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत अधिसूचना संख्या एलईजी.17/2020 दिनांक 20.07.2020 द्वारा हरियाणा राज्य में लागू करने हेतु कारखाना (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018 (2020 का अधिनियम संख्या 16) के रूप में दिनांक 20.07.2020 को अधिसूचित किया गया है।

और जबकि ऊपर वर्णित परिस्थितियों के मद्देनजर, कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने का प्रस्ताव सी.एम.एम. के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

और जबकि दिनांक 10.02.2021 को मंत्री परिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री को 05.03.2021 से शुरु होने वाले सत्र के दौरान विधानसभा में रखे जाने वाले विधायी कार्य को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया है और मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977 की अनुसूची की क्रम संख्या 09 के संदर्भ में मंत्री परिषद् की ओर से कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिये गये उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधान सभा कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।”

(ii) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे— “यह कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018, लोकोपयोगिताओं में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोकाधिकार तथा उपयोग के अपर्वजन हेतु ऐसी भूमि तथा उससे सम्बंधित और आनुषंगिक मामले के लिए दावे का प्रतिषेध करने हेतु राज्य विधानमण्डल द्वारा 2018 का विधेयक संख्या 37—एच.एल.ए पारित किया गया था।

और, चूंकि उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल के पास उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था;

और चूंकि, राज्यपाल ने उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया था;

और, चूंकि, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 के खण्ड 8 में निम्न प्रस्तावित किया गया है:—

“8 (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के यथाशीघ्र बाद, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।”;

और चूंकि, भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधिक मामले विभाग द्वारा उक्त विधेयक के खण्ड 8 पर निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-

“परन्तु नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।”;

और चूंकि, राज्य सरकार ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 वापस करने का अनुरोध किया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने पत्र संख्या 17/55/2018-Judl.&PP, दिनांक 3 नवम्बर, 2020 द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया कि भारत सरकार को हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने पर कोई आक्षेप नहीं है। आगे, सचिव, राज्यपाल, हरियाणा ने पत्र संख्या एच.आर.बी-एम.ए. (यू.ए)-4 (55)-2018/6750, दिनांक 24 नवम्बर, 2020, द्वारा सूचित किया कि माननीय राज्यपाल के सम्मुख मामले को रखा गया था, जिन्होंने हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018, जो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया है, को वापस लेने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है;

और चूंकि, विधि परामर्शी हरियाणा ने अशा. क्रमांक 10276-लैज-III (420) ए/2020/13, दिनांक 07.01.2021 द्वारा अपनी मंत्रणा व्यक्त कर दी है कि-

“प्रशासकीय विभाग को मंत्री परिषद् द्वारा अनुमोदित हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने के सम्बंध में ज्ञापन उपलब्ध करवाने की मंत्रणा दी जाती है। इसके बाद, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने के लिए हरियाणा राज्य विधानमण्डल सभा द्वारा संकल्प पारित किया जाना है;

आगे, भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधिक मामले विभाग द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को शामिल करने के बाद विधेयक को हरियाणा विधान सभा में पारित करवाते हुए मामले में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।”।

और चूंकि, मंत्री परिषद् हरियाणा ने 10 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है।”

(iii) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे— यह कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019, सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए श्रेष्ठ खेलकूद शिक्षण के लिए, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबन्धन और खेलकूद प्रशिक्षण के क्षेत्रों में खेलकूद विद्या को प्रोन्नत करने के लिए हरियाणा राज्य में विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने और निगमित करने के लिए तथा उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 राज्य विधानमण्डल द्वारा 2019 का विधेयक संख्या 23-एच.एल.ए. पारित किया गया था ;

और चूंकि, उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में, हरियाणा के राज्यपाल के पास, उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था ;

और चूंकि, राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण हेतु आरक्षित किया गया था ;

और चूंकि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के क्रमांक संख्या F.No.6-3/2019-U.॥ दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय से क्रमांक संख्या एफ. संख्या 17/45/2019-Judl. & PP, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह उपबन्धित है कि “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 (II) के अनुसार, “अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.), राज्य के निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य मनोनति करेगा। चूंकि, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्वेषण-एवं-चयन समिति के लिए कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है, इसलिए उपकुलपति की नियुक्ति के लिए इस मानदण्ड पर पुर्नअवलोकन करने की आवश्यकता है।

इसलिए, भारत सरकार की मन्त्रणा पर, विधेयक पर पुनर्विचार करने बारे निर्णय लिया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या 23-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

और चूंकि, मंत्री परिषद् ने 10 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में, 5 मार्च, 2021 से प्रारम्भ होने वाले हरियाणा विधान सभा सत्र के समक्ष विधायी कार्यों के प्रस्तुतीकरण के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया है और मुख्यमंत्री द्वारा मन्त्री परिषद् के निमित्त हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है।

IV. विधायी कार्य

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

- | | | | |
|----|---|-----------|--|
| 1. | हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 | एक मंत्री | हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे; |
| 2. | हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021. | एक मंत्री | हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे; |
| 3. | हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 | एक मंत्री | हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे; |
| 4. | हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 | एक मंत्री | हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;
विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे। |

चण्डीगढ़
5 मार्च, 2021

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।